न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी—श्री जगदीशसिंह आशिया, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 50 / 2024

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. नरसीराम पुत्र लालाराम जाति मेघवाल निवासी भेडाणा तहसील गुड़ामालानी जिला बालोतरा		1. हीराराम पुत्र मानाराम, वयस्क जाति कलबी निवासी भेडाणा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर 2. पांचूदेवी पत्नि रूगाराम, वयस्क जाति मेघवाल निवासी देवनगर, भेडाणा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर 3. कृष्ण कुमार पुत्र मांगाराम, वयस्क 4. केसाराम पुत्र लक्ष्मणाराम, वयस्क 5. केहराराम पुत्र लक्ष्मणाराम, वयस्क 6. गंगाराम पुत्र मांगाराम, वयस्क 7. चाम्पाराम पुत्र गिरधारीराम, वयस्क 8. छगनाराम पुत्र मांगाराम, वयस्क 9. भगाराम पुत्र मांगाराम, वयस्क 10. शंकराराम पुत्र मांगाराम, वयस्क 11. सिगरतीदेवी पत्नि लक्ष्मणाराम, वयस्क जातियान मेघवाल निवासी गोलिया जीवराज तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 12. अरबाबअली पुत्र हाजीगफूर, वयस्क 13. रहमान पुत्र हाजीगफूर, वयस्क 14. हकीम पुत्र हाजीगफूर, वयस्क 15. गफुरखां पुत्र हाजीमोहम्मद, वयस्क जातियान सिंधी मुसलमान निवासी औरंगाबाद तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 16. तहसीलदार सिणधरी जिला बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री जोगराज पोटलिया, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

2. विप्रार्थी एकतरफा।

आदेश

दिनांक 20.06.2024

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण का खेत मौजा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल गोलिया जीवराज के खेत खसरा संख्या 175 रकबा 4.1583 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत मौजा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल गोलिया जीवराज के खेत खसरा संख्या 175 रकबा 4.1583 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत मौजा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल गोलिया जीवराज के खेत खसरा संख्या 175 रकबा 4.1583 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा मौजा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल गोलिया जीवराज के खेत खसरा संख्या 175 रकबा 4.1583 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन

...कारी
सिणधरी

किया गया। जिसमें पाया मौजा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल गोलिया जीवराज के खेत खसरा संख्या 175 रकबा 4.1583 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है,जिसका प्रार्थी हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा,प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल गोलिया जीवराज के खेत खसरा संख्या 175 रकबा 4.1583 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/ प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 20.06.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी